Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly Allahabad State University)

पत्रांकः पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 2147 / 2019 दिनांकः 13 जुलाई, 2019

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।

विषयः **अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया संदर्भित विषय के सम्बन्ध में इस पत्र के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II लखनऊ, दिनांकः 18 फरवरी, 2019 के क्रम में कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण को विभिन्न नियामक संस्थाओं (एन0सी0टी0ई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0, सी0सी0आई0एम0 एवं बी0सी0आई0 आदि नियामक संस्थाओं) द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों में लागू किया जाए तथा निर्धारित सीट्स के सापेक्ष 10 प्रतिशत सीट की वृद्धि करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जाए। महाविद्यालय द्वारा प्रवेश लेते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु शासनादेश संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II लखनऊ, दिनांकः 18 फरवरी, 2019 द्वारा निर्धारित पात्रता की पूर्ति उक्त छात्र/छात्रा द्वारा की जा रही हो। यदि निर्धारित सीटो के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो मेरिट या प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाए तथा अन्य वर्ग से उक्त सीटों को नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया शासनादेश संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II लखनऊ, दिनांकः 18 फरवरी, 2019 के आलोक में उपरोक्त उल्लिखित नियम को महाविद्यालय में लागू किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे की सम्बन्धित कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. एजेन्सी को इस आशय से कि उक्त पत्र को सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II

लखनऊ; दिनांक : 18 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से भारत का संविधान में 103वां संशोधन करते हुये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. तत्क्रम में समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या-325/26-3-2019, दिनांक-22.01.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-17.01.2019 के क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-36039/1/2019-Estt.(Res.), दिनांक-19.01.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भारत सरकार की सिविल पोस्ट एण्ड सर्विसेज में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नवत् है :-

"Reference is invited to Ministry of Social Justice and Empowerment O.M.No. F.No. 20013/01/2018-BC-II dated 17.01.2019 on the above mentioned subject, which, inter-alia, reads as under:-

"1. In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment)Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs)who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and Whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of

18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i 5 acres of Agricultural Land and above;

ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

3. The income and assets o. the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/UT.

....

5- Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DOPT and Ministry of HRD respectively."

2. In pursuance of the above office Memorandum, it is hereby notified that 10% reservation would be provided for Economically Weaker Sections (EWSs) in Central Government posts and services and would be effective in respect of all Direct Recruitment vacancies to be notified on or after 01-02-2019

3. Detailed Instructions regarding operation of roster and procedure for implementation of EWS reservation will be issued separately. "

4- The Constitution (One Hundred and Third Amendment)Act, 2019 के क्रम में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये की गयी आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नवत् व्यवस्था / मानक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अनुमन्य किये गये 10 प्रतिशत **आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति, पात्र /अर्ह होंगे:-**

(i) जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय रू0-8.00 लाख से कम होगी। समस्त स्रोतों से आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आय सम्मिलित होगी और यह आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की होगी। इस उद्देश्य के लिये लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार में उसके/उसकी माता-पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका/उसकी, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे सम्मिलित होंगे। **परन्तु** ;

(ii) **ऐसे व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होंगे** :-

(अ) जिनके परिवार के स्वामित्व अथवा कब्जे में 05 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, **या**

(ब) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय फ्लैट हो, **या**

(स) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो, **या**

(द) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो।

(iii) परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा।

(iv) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था दिनांक 01.02.2019 या इसके उपरान्त अधिसूचित / विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी।

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12-4/2019 दिनांक 17.01.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों जो वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, के लिए केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत् है :-

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019. and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, It has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten percent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institution, (as defined in clause (d) of section (2) of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

The above reservation would not be applicable to the 8 Institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.

c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years begining with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.

e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Depratment of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

6. संविधान के 103वें संशोधन के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भारत सरकार दवारा की गई उक्त व्यवस्था के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में भी निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:

1) अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के लिये वर्तमान में लागू राज्य सरकार की योजना/नीति से आच्छादित नही है, उन्हें अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटो के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया जाय। प्रदेश में उत्कृष्टता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, द सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एक्ट, 2006 के अंतर्गत इन्स्टीट्यूशन आफ नेशनल एण्ड स्ट्रेटजिक इम्पॉरटेन्स जिन्हें भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम दिनांक 17.01.2019 में सम्मिलित किया गया है, उन पर यह आरक्षण व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2) प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।

3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्र-2019-20 से लागू की जाय।

4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पात्रता का मानक प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर(ख) के अनुसार ही होगा।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II(1), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) प्रमुख सचिव, श्री महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3) प्रमुख सचिव सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
10) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
13) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ०सं० : डिग्री सेवा / 421-37 / 2019–20 दिनांक : 30 / 5 / 2019

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अपने–अपने विश्वविद्यालयों व सम्बद्ध महाविद्यालयों में उक्त शासनादेशानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें एवं क्रियान्वयन के पश्चात् अनुपालन आख्या प्रेषित करें।

डा० (बी०एल० शर्मा)
सहायक शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
कृते–शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ०प्र०,
प्रयागराज।